

Fresh Dialogue with MR. Laldenga

633. SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that four political parties including the Congress (I) and Peoples' Conference, have sent a memorandum to the Prime Minister pleading with her for a fresh dialogue with Mr. Laldenga, the MNF leader, now in London; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) :

(a) Yes, Sir.

(b) Since no change has occurred in Shri Laldenga's attitude there is no ground for reconsideration of Government's earlier stand on the subject now.

**जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों
का तिहाड़ जेल से भाग जाना**

634. श्री मनीराम बागड़ी :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मई, 1983 को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के 63 छात्रों के तिहाड़ जेल से भाग जाने के उत्तरदायी ठहराये गये अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या उस घटना की जांच के लिए कोई समिति गठित की गई थी और यदि हाँ, तो इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और इस समिति द्वारा सरकार को क्या रिपोर्ट दी गई है; और

(ग) समिति की रिपोर्ट के आधार पर

सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और इस बारे में अभी तक कौन-कौन-सी सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गई हैं?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पौ. बैकटसुब्बथ्या) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पुलिस ने तिहाड़ जेल शिविर ने आठ अधिकारियों (एक कार्यवाहक उप-अधीक्षक, 2 सहायक अधीक्षक, दो मुख्य हैड वार्डर, दो वार्डर और एक दरवान) के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है, जो मुलाकात कराने, दरवाजे पर आगत्तुकों की सील की जांच करने और मुलाकात से पहले तथा बाद में और बैरिकों में भी कैदियों को गिनने के लिए जिम्मेदार थे। उन सभी को गिरफ्तार किया गया है और बाद में जमानत पर रिहा किया गया है। इन अधिकारियों में से कार्यवाहक उप अधीक्षक, एक सहायक अधीक्षक, एक हैड वार्डर और एक वार्डर को जेल प्राधिकारियों द्वारा निलम्बित किया गया है। पुलिस द्वारा दर्ज मामले को जांच-पढ़ताल के लिए अपराध शाखा को सुपुर्द किया गया है और इसकी अभी जांच की जा रही है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली द्वारा एक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के आदेश दिये गये हैं। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा घटिया
किस्म के सीमेंट का उपयोग**

635. श्री मनीराम बागड़ी :

श्री जगपाल सिंह :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में लाये जा